न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः—273/2025

1. राजवीर सिंह पुत्र अनूप सिंह, निवासी छापड़ा, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी ए—241, 24 फ्लॉर कलपतरू टावर्स, आकुर्ली रोड़ ESIS अस्पताल, कांदिवली पूर्व मुम्बई, (महाराष्ट्र)।
2. सुखवीर सिंह पुत्र अनूप सिंह, निवासी छापड़ा, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज0)
3. गिरवर सिंह पुत्र अनूप सिंह, निवासी छापड़ा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं (राज0)।

——अपीलान्ट्स

बनाम

अनूप सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, निवासी छापड़ा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 08.07.2025 द्वारा पीठासीन अधिकारी सुमन देवी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं बउनवानी मुकदमा अनूप सिंह बनाम राजवीर सिंह वगैरह बाबत् प्रार्थना पत्र स्वअर्जित सम्पत्ति से बेदखल करवाने हेतु माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) अधिनियम 2019 मु0नं0 64/2024

———

उपस्थितः—
वकील श्री भारत भूषण शर्मा, मनोज वर्मा एवं प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
वकील श्री रतन कुमार मोरवाल एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.11.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट सूरजगढ के आदेश दिनांक 08.07.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट 82 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा ग्राम छापड़ा, तहसील पिलानी का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के पास ग्राम छापड़ा में एक स्वअर्जित रिहायशी मकान है जो प्रार्थी ने अपने जीवन भर क कठिन मेहनत व कमाई से बनाया हुआ जिसमें प्रार्थी ने अपना व अपने परिवार का जीवन बसर कर रिहायश की है। अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 प्रार्थी के जाईन्दा पुत्र है जिनको प्रार्थी ने पाल पोसकर पढ़ा लिखाकर बड़ा कर नौकरी/व्यवसाय में लगाया है प्रार्थी के उक्त तीनों पुत्र बेल स्टल्ड है। प्रार्थी का पुत्र अप्रार्थी नम्बर 1 राजवीर सिंह ने बम्बई में अपना स्वयं का फ्लेट खरीद रखा है तथा बम्बई में अन्य कई सम्पत्तियां बना रखी हैं तथा ग्राम छोटी थिरपाली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में 50 बीघा भूमि खरीदकर उस पर चारदीवारी बना कर छोड़ रखा है जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में है। उक्त राजवीर का लड़का अमेरिका में अच्छी सैलरी पर नौकरी कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 सुखवीर सिंह भी अपने परिवार बच्चों के साथ बम्बई में अपना स्वयं का फ्लेट खरीदकर रहता है तथा बम्बई में कई अन्यह सम्पत्तियां कर रखी है तथा बम्बई में अच्छी सैलरी की नौकरी करता है। उक्त सुखवीर सिंह का लड़का जर्मनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करता है। अप्रार्थी संख्या 3 गिरवर सिंह बीकानेर में पुलिस विभाग में नौकरी करता है तथा बीकानेर में पोश कॉलोनी में आलिशान मकान बनाकर रहता है तथा बीकानेर में 100 बीघा कृषि भूमि सिंचित खरीद रखी है जिससे कई लाखों रुपये सालाना आमदनी करता है। प्रार्थी के पास छापड़ा तहसील पिलानी में स्वअर्जित कृषि भूमि खसरा नं0 220 रकबा 1.36 है0, खसरा नं0 270 रकबा 1.200 है0 स्थित है जो सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ग्राम छापड़ा की सीमा में ही कृषि भूमि खसरा नं0 327 रकबा 0.97 है0, खसरा नं0 387 रकबा 1.200 है0, खसरा नं0 389 रकबा 0.31 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/8 है उक्त कृषि भूमि भी प्रार्थी की स्वअर्जित भूमियां हैं। इनके अलावा प्रार्थी की स्वअर्जित कृषि भूमि खसरा नं0 324 रकबा 4.16 है0 ग्राम छापड़ा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 245/2526 है। इनके अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के ग्राम छापड़ा तहसील पिलानी प्रतिलिपि कृषि भूमि खसरा नं0 268, 269, 280 पैत्रिक है जो प्रार्थी को अपने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पिता स्व0 पृथ्वी सिंह से मिली है उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी का हिस्सा 1/5–1/5 है प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में ट्यूबवैल बना रखा है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपने जीवन भर की कड़ी मेहनत से उक्त स्वअर्जित सम्पत्तियों को बनाया है तथा अपने तीनों पुत्रों अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 की अच्छी परवरिश पढ़ाई लिखाई करवाकर अच्छे नौकरी/व्यवसाय में लगाया है। प्रार्थी की स्वअर्जित कृषि भूमियों पर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 जबरदस्ती कब्जा कर खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं तथा जब भी अप्राथीगण ग्राम छापड़ा में आते हैं तब प्रार्थी के साथ गाली गलोच करते हुये बदसलूकी कर प्रताड़ित करते हैं तथा प्रार्थी की स्वअर्जित कृषि भूमियों को खुर्द बुर्द करने की धमकी देते हैं तथा दबाव बनाकर प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति व कृषि भूमियों को हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। यह कि दिनांक 30.12.2023 को प्रार्थी की पत्नी शांति देवी का निधन होने पर प्रार्थी ने अपने तीनों पुत्रों अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3 को सूचना देकर अपने घर ग्राम छापड़ा में बुलाया तथा प्रार्थी की पत्नी के निधन के बाद उसके दाह संस्कार व अन्य धार्मिक व सामाजिक दायित्व को पूरा किया जिससे प्रार्थी को काफी खर्चा लगा इसलिये प्रार्थी ने अपने तीनों पुत्रों अप्रार्थीगण/अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 3 से कहा कि आपकी माताजी के निधन पर काफी खर्चा लगा है जो लोगों को देना है इसलिये रूपयों की व्यवस्था करो जिस पर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि हम कोई रूपये नहीं देंगे तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी के स्वअर्जित रिहायसी मकान ग्राम छापड़ा स्थित में अपने एक कमरे में संदूक रख रखा था तथा उक्त संदूक में प्रार्थी की पत्नी अपने गहने, रूपये व अन्य कीमती सामान रखती थी। उक्त संदूक को प्रार्थी की पत्नी ने ताला लगा रखा था। प्रार्थी की पत्नी के निधन के बाद प्रार्थी की पत्नी की उक्त संदूक का अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3 ने ताला तोड़कर उसमें रखे हुये प्रार्थी की पत्नी के नगद रूपये, गहने व अन्य कीमती सामान निकाल लिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के घर में रखा हुआ ग्वार (अनाज) करीब 3,00,000/– रूपये का भी बेच दिया तथा उक्त रूपये अप्रार्थी नम्बर 1 राजवीर सिंह ले गया। लेकिन प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा कोई रुपया खर्चा नहीं दिया गया तथा प्रार्थी के साथ बदसलूकी कर धमकाते हुये कहा कि आईन्दा खर्चा मांगा तो हाथ पैर तोड़कर डाल देंगे। फरवरी 2024 में अप्रार्थीगण ग्राम छापड़ा में प्रार्थी के स्वअर्जित रिहायशी मकान पर आये तथा प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि आपके मकान व आपके द्वारा क्रय की गई स्वअर्जित कृषि भूमियों पर जबरदस्ती कब्जा कर खुर्द बुर्द करेंगे तथा प्रार्थी के मकान पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करेंगे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खिलाफ उक्त कृषि भूमियों को हड़पने के सम्बन्ध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सूरजगढ़ के न्यायालय में एक झूठा मुकदमा उनवानी राजवीर सिंह वगै० बनाम अनूप सिंह कर रखा है जिसका मुकदमा नम्बर 22/2024 है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 27.06.2024 नियत है। इस तरह अप्रार्थीगण प्रार्थी के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर प्रार्थी को प्रताड़ित कर रहे हैं तथा प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पतियों को दबाव बनाकर हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। मार्च 2024 में अप्रार्थीगण फिर ग्राम छापड़ा में प्रार्थी के स्वअर्जित मकान पर आये तथा धमकाते हुये कहा कि आपकी पैतृक व स्वअर्जित कृषि भूमियों को हमारे नाम करवा दो नहीं तो आपके हाथ पैर तोड़कर डाल देंगे तथा कृषि भूमियों की तरफ गया तो गोली मार देंगे तथा प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि आपका अपहरण कर गाड़ी में डालकर ले जायेंगे तथा कहीं भी जान से मारकर घने जंगलों में या समुद्र में फेंक देंगे। इस तरह अप्रार्थीगण ने एकराय होकर प्रार्थी के साथ गाली गलोच व बदसलूकी करते हुये प्रार्थी के स्वंअर्जित घर से बाहर निकाल दिया तथा प्रार्थी के स्वअर्जित मकान स्थित ग्राम छापड़ा में से जबरदस्ती निकाल कर सभी कमरों को ताले लगाकर चले गये। तथा प्रार्थी के स्वअर्जित मकान से प्रार्थी को बेदखल कर रखा है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को ऐलानियां धमकाते हुये यह कहकर चले गये कि अगर मकान व कृषि भूमियों में गया तो गोली मारकर जान से खत्म कर देंगे। अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा अपने साथ रिवाल्वर व अवैध हथियार रखते हैं तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जान माल का खतरा भी बना रहता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का वृद्धावस्था में त्याग कर रखा है प्रार्थी 82 साल का वृद्ध व्यक्ति है जो ठीक से चल फिरने में भी सक्षम नहीं है अप्रार्थीगण प्रार्थी की कोई देखभाल नहीं करते हैं तथा प्रार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना करते रहते हैं तथा तंग व परेशान करते हुये मारपीट करते हैं तथा बदसलूकी करते हैं तथा प्रार्थी का किसी भी तरह से न तो ध्यान रखते है व ना ही भरण पोषण करते हैं। प्रार्थी दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है तथा प्रार्थी के स्वअर्जित रिहायशी मकान स्थित ग्राम छापड़ा से जबरन निकाल कर कमरों पर अपने ताले लगाकर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3 को कहा कि मेरे स्वअर्जित मकान को खाली कर दो तथा मकान के ताले हटा दो ताकि प्रार्थी अपना शेष

खिना कलक्टर झुन्झुनूं

जीवन शांतिपूर्वक अपने स्वअर्जित मकान में व्यतीत कर सके। प्रार्थी के पास उक्त रिहायशी मकान के अलावा ग्राम छापड़ा में अन्य कोई मकान नहीं है जहां पर प्रार्थी रिहायश कर सके। इसलिये प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष यह परिवाद मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी के स्वअर्जित रिहायसी मकान स्थित ग्राम छापड़ा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उक्त मकान का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाये। तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से भरण पोषण बाबत भी 30,000/– रूपये प्रति माह दिलवाया जावे। इसलिये यह परिवाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र/परिवाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां दिनांक 03.06.2024 को दर्ज रजिस्टर्ड हुआ जिसके मुकदमा नं. 64/2024 है। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ ने दिनांक 08.07.2025 को बिना किसी पक्षकारान की तामिल हुए तथा ना ही समुचित सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं ना ही आदेशिका में कही वकील की उपस्थिति एवं एकपक्षीय कार्यवाही की जाने सम्बंधित कोई भी आदेशिका में प्रार्थना पत्र की दर्ज की तिथि से अंतिम निर्णय तक कोई अंकन नहीं कर सीधा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश पारित किया कि "अतः माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 7 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 19.09.2008 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को आदेशित कर पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की स्व अर्जित सम्पति/कृषि खातेदारी भूमि एवं रिहायशी मकान मे किसी प्रकार का दखल ना करे। प्रार्थी के रिहायशी मकान से प्रार्थी के तीनों पुत्रों को बेदखल किया जाता है अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो नियमानुसार कार्यवाही के भागी होंगे। थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करे।" से व्यथित होकर अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के आदेश दिनांक 08.07.2025 के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर अपील पेश कर रहे है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध न्याय एवं पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध है। अधीनस्थ मातहत ने पक्षकारान की विधिवत तामिल नहीं करवायी और ना ही आदेशिका में कही भी तामिल होने या नहीं होने या जारी करने या प्राप्त होने सम्बंधित कोई भी अंकन पत्रावली पर नहीं होने तामिल नहीं होने के बावजूद बिना कोई गौर किये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने बिना माइण्ड अपलाई किये आदेश दिनांक 08.07.2025 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना (Prejudiced), अवैध (illegal) और तथ्यों के विपरित (Perverse to the facts and circumstance of the case) किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तथा प्रार्थना पत्र के निस्तारण में कतई गौर नहीं किया है। अपीलान्टस रेस्पोडेन्ट अनूप सिंह के जायन्दा पुत्र है तथा तीनों पुत्र बसिलसिले नौकरी व व्यापार बाहर रहते है। घर में केवल पिता अनूप सिंह बाकी परिवार के साथ रहता है। तीनों पुत्रों नौकरी करके जमीन खरीदने के लिए पैसे अपने पिता को भेजते रहे तथा अनूप सिंह ने अपने पुत्रों/अपीलान्ट के द्वारा भेजे गये पैसों से ही प्रार्थना पत्र में वर्णित मे जमीने खरीदी। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह गौर भी नहीं किया कि उक्त सम्पति खरीदते समय रेस्पोडेन्ट अनूप सिंह के आय के स्त्रोत क्या थे। यदि न्यायालय उक्त तथ्यों पर जरा सा गौर कर लेता तो उक्त विधि विरूद्ध निर्णय पारित नहीं हो सकता था। इसलिए भी उक्त आदेश दिनांक 08. 07.–2025 अपास्त किये जाने योग्य है। बन्द मकान में अपीलान्ट का घरेलू सामान पड़े होने व अपीलान्ट द्वारा बन्द मकान में अपीलान्ट के हिस्से के मकानों व कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट अनूप सिंह उक्त विधि विरूद्ध आदेश की आड़ मे खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण, विक्रय करने पर आमादा है तथा पुलिस के द्वारा अपीलान्ट का आर्थिक, सामाजिक, मानसिक उत्पीडन करवा रहा है जिस तथ्य पर भी न्यायालय द्वारा कोई गौर ना करके उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले खारीज है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दिनांक 08.07.2025 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट ने बहस के दौराने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध न्याय एवं पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध है। अधीनस्थ मातहत ने पक्षकारान की विधिवत तामिल नहीं करवायी और ना ही आदेशिका में कही भी तामिल होने या नहीं होने या जारी करने या प्राप्त होने सम्बंधित कोई भी अंकन पत्रावली पर नहीं होने तामिल नहीं होने के बावजूद बिना कोई गौर किये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने बिना माइण्ड अपलाई किये आदेश दिनांक 08.07.2025 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना (Prejudiced), अवैध (illegal) और तथ्यों के विपरित (Perverse to the

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

facts and circumstance of the case) किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तथा प्रार्थना पत्र के निस्तारण में कतई गौर नहीं किया है। अपीलान्टस रेस्पोडेन्ट अनूप सिंह के जायन्दा पुत्र है तथा तीनों पुत्र बसिलसिले नौकरी व व्यापार बाहर रहते है। घर में केवल पिता अनूप सिंह बाकी परिवार के साथ रहता है। तीनों पुत्रों नौकरी करके जमीन खरीदने के लिए पैसे अपने पिता को भेजते रहे तथा अनूप सिंह ने अपने पुत्रों/अपीलान्ट के द्वारा भेजे गये पैसों से ही प्रार्थना पत्र में वर्णित मे जमीने खरीदी। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह गौर भी नहीं किया कि उक्त सम्पति खरीदते समय रेस्पोडेन्ट अनूप सिंह के आय के स्त्रोत क्या थे। यदि न्यायालय उक्त तथ्यों पर जरा सा गौर कर लेता तो उक्त विधि विरूद्ध निर्णय पारित नहीं हो सकता था। इसलिए भी उक्त आदेश दिनांक 08.07.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। बन्द मकान में अपीलान्ट का घरेलू सामान पड़े होने व अपीलान्ट द्वारा बन्द मकान में अपीलान्ट के हिस्से के मकानों व कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट अनूप सिंह उक्त विधि विरूद्ध आदेश की आड़ मे खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण, विक्रय करने पर आमादा है तथा पुलिस के द्वारा अपीलान्ट का आर्थिक, सामाजिक, मानसिक उत्पीडन करवा रहा है जिस तथ्य पर भी न्यायालय द्वारा कोई गौर ना करके उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले खारीज है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दिनांक 08.07.2025 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौराने जबाब पेश कर अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय में वाट्सअप भेजे गये नोटिस की तामील मानी जाती है। रेस्पोडेन्ट की प्रकरण में वर्णित सम्मति स्वअर्जित है। अपीलान्टस रेस्पोडेन्ट के साथ मारपीट करते है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा अपीलान्ट्स की तामील करवाई गई है। तामिल विधिक प्रकिया अनुसार करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट ने अपने धन से मकान का निर्माण करवाया है। रेस्पोडेन्ट के मकान पर अपीलान्ट्स ने ताला लगा दिया है। रेस्पोडेन्ट का खेत 3 साल से बिना बुवाई किये हुये पड़ा है। अपीलान्ट्स की यह अपील गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तत तर्को पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2025 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवेदन को स्वीकार कर रेस्पोडेंन्ट की संपति में दखल नही करने के आदेश दिये है। अपीलान्टस का प्रकरण में अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा तामिल भी विधिक प्रकिया के अनुसार नहीं करवाई गई है। रिकार्ड अदालत मातहत के अवलोकन से अपीलान्टस के तर्क सही प्रतीत होते है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर किया जाना न्यायोचित होता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 08.07.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर देते पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। रिकार्ड मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से निर्णय पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं